Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2018 SISRRJ | Volume 1 | Issue 1 | ISSN : 2581- 6306

भारत में लैंगिक असमानता

डॉ. हरिकेश मीना
राजकीय कन्या महाविद्यालय, करौली।

शोधसंराश – महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है, जहाँ महिलाऐं आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बन सकती हैं, जहाँ वो अपने डर से लड़कर दुनिया में भयमुक्त होकर जा सकती है, जहाँ वो अपने अधिकारों को पुरूषों की जेब में से निकाल सकती है और इसके लिए उन्हें किसी से पूछने की भी आवश्यकता नहीं है, जहाँ वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अच्छा भविष्य व सम्पत्ती की स्वयं मालिक बन सकती है और इन सबसे भी ऊपर उन्हें मनु के समय से लगाई गई सीमाओं से बाहर निकलकर चुनाव करने व अपने निर्णय खुद लेने की स्वतंत्रता मिलती है।

मुख्य शब्द– भारत, लैंगिक, सशक्तिकरण, महिला, अधिकारः, सम्पत्ती, सांस्कृतिक, सामाजिक।

लिंग सामाजिक–सांस्कृतिक शब्द है, सामाजिक परिभाषा से सम्बन्धित करते हुए समाज में 'पुरूषों' और महिलाओं के कार्यों और व्यवहारों को परिभाषित करता है। जबकि सेक्स शब्द 'आदमी' और 'औरत' को परिभाषित करता है जो कि जैविक और शारीरिक घटना है। अपने सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलुओं में लिंग पुरूष और महिलाओं के बीच शक्ति के कार्य के सम्बन्ध हैं जहाँ पुरूष को महिला से श्रेष्ठ माना जाता है। इस तरह, 'लिंग' को मानव निर्मित सिद्धान्त समझना चाहिए, जबकि 'सेक्स' मानव की प्राकृतिक या जैविक विशेषता है।

लिंग असमाना को सामान्य शब्दों में इस तरह परिभाषित किया जा सकता है कि, लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव । समाज में परम्परागत रूप से महिलाओं को कमजोर जाति–वर्ग के रूप में माना जाता है। वह पुरूषों की एक अधीनस्थ स्थिति में होती है । वो घर और समाज दोनो में शोषित, अपमानित, अक्रमित और भेद–भाव से पीड़ित होती है । महिलाओं के खिलाफ भेद–भाव का ये अजीब प्रकार की दुनिया में हर जगह प्रचलित है और भारतीय समाज में तो बहुत अधिक है ।

हम 21वीं शताब्दी के भारतीय होने पर गर्व करते हैं, जो एक बेटा पैदा होने पर खुशी का जश्न मनाते हैं और यदि एक बेटी का जन्म हो जाये तो शान्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि कोई भी जश्न नहीं मनाने का नियम बनाया गया है । लड़के के लिए इतना ज्यादा प्यार कि लड़कों के जन्मदिन की चाह में हम प्राचीन

काल से ही लड़कियों को जन्म के समय या जन्म से पहले ही मारते आ रहे हैं, यदि सौभाग्य से वो नहीं मारी जाती तो हम जीवनभर उनके साथ भेदभाव के अनेक तरीके ढूँढ लेते हैं ।

हालांकि, हमारे धार्मिक विचार और को देवी का स्वरूप मानते हैं लेकिन हम उसे एक इंसान के रूप में पहचानने से मना कर देते हैं। हम देवी की पूजा करते हैं, पर लड़कियों का शोषण करते हैं। जहाँ तक कि महिलाओं के सम्बन्ध में हमारे दृष्टिकोण का सवाल है तो हम दोहरे–मानकों का एक ऐसा समाज है जहाँ हमारे विचार और उपदेश हमारे कार्यो से अलग हैं।

भारत में लैगिक असमानता के कारण और प्रकार :– भारतीय समाज में लिंग असमानता का मूल कारण इसकी पितृसत्तात्मक व्यवस्था में निहित है। प्रसिद्ध समाज शास्त्री सिल्विया वाल्बे के अनुसार ''पितृसत्तात्मकता सामाजिक संरचना की ऐसी प्रक्रिया और व्यवस्था है जिसमें आदमी औरत पर अपना प्रभुत्व जमाता है, उसका दमन करता है और उसका शोषण करता है''। महिलाओं का शोषण भारतीय समाज की सदियों पुरानी सांस्कृतिक घटना है। पितृसत्तात्मकता व्यवस्था ने अपनी वैधता और स्वीकृति हमारे धार्मिक विश्वासों, चाहे वो हिन्दू, मुस्लिम या किसी अन्य धर्म से ही क्यों न हो, से प्राप्त की है ।

उदाहरण के लिए प्राचीन भारतीय हिन्दू कानून के निर्माता मनु के अनुसार '' ऐसा माना जाता है कि औरत को अपने बाल्यकाल में पिता के अधीन, शादी के बाद पति के अधीन और अपनी वृद्धावस्था या विधवा होने के बाद अपने पुत्र के अधीन रहना चाहिए । किसी भी परिस्थिति में उसे खुद को स्वतंत्र रहने की अनुमति नहीं है ।

हमारे समाज मैं लैगिक असमानता की दुर्भाग्यपूर्ण बात भी महिलाऐं हैं, प्रचलित समाजिक–सांस्कृतिक स्थितियों के कारण उन्होने पुरूषों के अधीन अपनी स्थिति को स्वीकार कर लिया है।

महिलाओं का समाज में निचला स्तर होने के कुछ कारणों मेंसे अत्यधिक गरीबी और शिक्षा की कमी भी है ।

लैंगिक असमानता के खिलाफ कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा उपाय :– लिंग असमानता को दूर करने के लिए भारतीय संविधान ने अनेक सकारात्मक कदम उठाये हैं। संविधान की प्रस्तावना हर किसी के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के लक्ष्यों के साथ ही अपने सभी नागरिकों के लिए स्तर की समानता और अवसर प्रदान करने के बारे में बात करती है।

संविधान का अनुच्छेद 15 भी लिंग, धर्म, जाति और जन्म स्थान पर अलग होने के आधार पर किये जाने वाले सभी भेदभावों का निषेध करता है। अनुच्छेद 15 (3) किसी भी राज्य को बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बनाने के लिए अधिकारित करता है। इसके अलावा, राज्य के नीति निदेशक तत्व भी ऐसे बहुत से प्रावधानों को प्रदान करता है जो महिलाओं की सुरक्षा और भेदभाव से रक्षा करने में मदद करता है

। इसके अलावा सतीप्रथा उन्मूलन अधिनियम 1987, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, विशेष विवाह अधिनियम 1954 भी महिलाओं के अधिकारों के लिए बनाये गये है ।

लैंगिक असमानता को समाप्त करने के उपाय :– संवैधानिक सूची के साथ–साथ सभी प्रकार के भेदभाव या असमानताऐं चलती रहेगी लेकिन वास्तविक बदलाव तो तभी संभव है जब पुरूषों की सोच को बदला जाये । ये सोच जब बदलेगी तब मानवता का एक प्रकार पुरूष महिला के साथ समानता का व्यवहार करना शुरू कर दे न कि उन्हें अपना अधीनस्थ समझे । यहाँ तक कि सिर्फ आदमियों को ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी आज की संस्कृति के अनुसार अपनी पुरानी रूढिवादी सोच बदलनी होगी और जानना होगा कि वो भी इस शोषणकारी पितृसत्तात्मक व्यवस्था एक एक अंग बन गयी है और पुरूषों को खुद पर हावी होने के सहायता कर रही है।

इसलिए महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है, जहाँ महिलाऐं आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बन सकती हैं, जहाँ वो अपने डर से लड़कर दुनिया में भयमुक्त होकर जा सकती है, जहाँ वो अपने अधिकारों को पुरूषों की जेब में से निकाल सकती है और इसके लिए उन्हें किसी से पूछने की भी आवश्यकता नहीं है, जहाँ वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अच्छा भविष्य व सम्पत्ती की स्वयं मालिक बन सकती है और इन सबसे भी ऊपर उन्हें मनु के समय से लगाई गई सीमाओं से बाहर निकलकर चुनाव करने व अपने निर्णय खुद लेने की स्वतंत्रता मिलती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. शर्मा, नरेन्द्र, (2010). '' सामाजिक आयाम और नारी'' गौतम बुक कम्पनी, जयपुर ।
2. सिंह, बी.एन. (2010). '' आधुनिकता और नारी सशक्तीकरण'', रावत प्रकाशन, जयपुर ।
3. जाखड. दिलीप, (2004). '' मानव अधिकार'' , यूनिवर्सिटी बुक हाऊस, जयपुर ।
4. राजोरिया, शोभा (2011). '' महिला और कानून '' ब्लूस्टार, इन्दौर ।
5. सिंह, संजय (2010). '' संविधान और मानव अधिकार '' , ओमेगा प्रकाशन, नई दिल्ली ।
6. शर्मा, विप्लव (2012). '' भारत में महिला मानवाधिकार '', राहुल पब्लिशिंग हाऊस, मेरठ ।
7. योजना, (2012), जून
8. प्रतियोगिता दर्पण (2012) अगस्त, सितम्बर
9. राजस्थान जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी (अक्टूबर 2011), जयपुर ।
10. कुरूक्षेत्र नई दिल्ली (अगस्त, 2013)